हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 13 अंक : 4 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अप्रेल, 2022

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

दौसा सांसद बोलीं- मैंने बच्चों का आरक्षण छोड़ा, किरोड़ीलाल बोले- सांसद इस्तीफा दें

आरक्षित वर्ग में आरक्षण पर रार

दौसा से सांसद जसकौर मीणा के आरक्षण छोड़ने संबंधी बयान को लेकर बहस छिड़ गई है। उन्होंने जयपुर में कहा था कि सक्षम लोग आरक्षण छोड़ दें। इस पर बवाल मचा तो वे अपने बयान से पलट भी गई और कहा कि उन्होंने तो योजनाओं के लिए ऐसा बोला था। उधर, भाजपा के ही राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस बयान पर बिफर गए। किरोड़ी ने कहा कि सांसद जसकौर मीणा सक्षमह है तो फिर आरक्षित सीट से इस्तीफा दें।

सक्षम और सम्पन्न लोग छोड़ें आरक्षण: जसकौर

रार

आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ा-किरोड़ीलाल

जयपुर। सांसद जसकौर मीणा ने जयपुर में कहा था कि लो लोग सक्षम और समपन्न हो रहे हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा जरूर छोड़ना चाहिए। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वो खुद भी आरक्षण छोड़ चुकी हैं।

सांसद ने कहा कि वो न तो कॉलेज में ज्यादा पढ़ी और न ही स्कूल में ज्यादा पढ़ी, लेकिन नदी में जिस तरह पत्थर अच्छे आकार में आ जाता है, उसी तरह वह लगातार चलते-चलते सक्षम हुई हैं। जब मैं सक्षम बन गई तो मैंने अपने बच्चों का आरक्षण छोड़ा, बेटियों का आरक्षण छोड़ा।

पांच बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएं

सांसद जसकौर ने कहा कि समाज में सभी को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप सक्षम हैं तो कम से कम पांच बच्चों की पढ़ाई का खर्च आपको उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भी वह 158 बच्चियों की स्कूल फीस, किताबों और दूसरा जरूरी खर्चा उठा रही हैं। हो सकता है अगले साल इस संख्या में और ज्यादा बढ़ोत्तरी हो जाए।

सांसद के बदले सुर...वक्तव्य योजनाओं-छात्रवृति के लिए था।

आरक्षण छोड़ने के बयान पर बवाल हुआ तो जसकौर मीणा ने अपने सुर बदलते हुये कहा कि मेरा वक्तव्य यह था कि केन्द्र सरकार ने एससी-एसटी के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उनमें जो अनुदान मिलता है या आरक्षित लोगों को जो लाभ मिलता है, उसको सक्षम लोग छोड़ सकते हैं। संविधान में जो आरक्षण मिला हैं, उससे जोड़कर गलत मतलब निकाल लिया है। मेरा वक्तव्य सिर्फ योजनाओं और छात्रवृति को लेकर था, मूल आरक्षण को लेकर नहीं था। किरोड़ी लाल मीणा की ओर से इस्तीफा मांगने को लेकर उन्होंने कहा कि क्या बोलूं ऐसे लोगों के लिए।

सांसद जसकौर मीणा के बयान पर उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।

किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी तल्ख प्रतिक्रिया में कहा कि क्या वाकई दौसा सांसद सक्षम हो गई है। अगर वह आरक्षण का फायदा नहीं ले रही तो दौसा आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ा। इसके साथ ही किरोड़ी ने जसकौर को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि आरक्षित सीट से जसकौर मीणा इस्तीफा दें, जिससे किसी जरूरतमंद आरक्षित व्यक्ति को मौका मिल सके। किरोडी ने कहा कि ऐसे बयानों का कोई तुक नहीं है।

आरएसएस की भाषा

ये आरएसएस की ओर से दिलाया हुआ बयान है। दौसा सांसद आरएसएस की भाषा बोल रही है। आरएसएस शुरू से ही आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ रहा है। समय आने पर मीणा समाज जसकौर मीणा व आरएसएस को उचित जवाब देगा।

रामकेश मीणा, विधायक गंगापुर सिटी

समाज देगा जवाब

ये देश संविधान से चलता है। आरक्षण संविधान प्रदत अधिकार है। जो लोग छद्म रूप से इसे समाप्त करने के मसूंबे पालते हैं, उन्हें समाज अपने आप जवाब दे देगा।

टीका राम जूली, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री

खतरे में आरक्षण

दौसा सांसद का बयान बिलकुल गलत है। पहले खुद जिस आरक्षित सीट से चुनाव जीती है, उसे छोडें। उन्हें गैर आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ना चाहिए। ये ऐसे लोगे हैं, जो खुद तो आरक्षण का फायदा ले लेते हैं, लेकिन दूसरों को रोकते हैं। इनकी वजह से ही आरक्षण खतरे में हैं।

इंदिरामीणा, विधायक , बामनवास

शाबास, जसकौर मीणा

पिछडे को अगड़ा मानने की अभी तक कोई परिभाषा नहीं है। जिस जातीय समाज के लोग पार्षद से लोक सभा तक, मुन्सिफ से हाई कोर्ट जज तक बन चुके हैं। उस समाज का कोई महिला सांसद यदि समर्थ लोगों को स्वयं की प्रेरणा से आरक्षण छोड़ने की सलाह देती नहीं वरन अपने ही घर से उसकी शुरूआत करने की मिसाल प्रस्तुत करती है तो सम्पूर्ण भारत के नागरिकों के लिए यह गर्व और संतोष की बात है। हम समता ज्योति की तरफ से जसकौर मीणा को शाबास कहते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं।

---समता मत---

* बधाई हो *

समता आन्दोलन के प्रत्येक सदस्य को 15वें स्थापना दिवस की कोटि-कोटि बधाई और शुभकामनाएं।

अध्यक्ष की कलम से

''पुरूषार्थपर्व''

साथियों,

प्रबल आत्मबल, निर्बल भाव और शुद्ध अन्तकरण से समता आंदोलन को धरातल पर उतारने का जो संकल्प लिया था वह मील का पत्थर जैसा दिन है 11 मई। जी हाँ साथियों। अपने अर्थात हमार समता आंदोलन का स्थापना दिवस फिर से आ गया है।

जीवन में कई तरह के सौभाग्य में से एक है संकल्प का सिद्धि के सोपान तक पहुँचना। बेशक विगत 14 सालों की हमारी यात्रा पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करवा देने के संवैधानिक पुरूषार्थ के रूप में प्रमाणित और स्थापित होने वाली है। जिन दिनों हमने चलना शुरू किया था उन दिनों जाति आरक्षण को एक दुख दनियति के रूप मे स्वीकार किया जा चुका था। हमने बोलना शुरू किया तो धीरे-धीर सब बोलने लगे। उसी का परिणाम है कि पूरे देश में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त होने के कगार पर आ चुका है।

अदालतों में संवैधानिक संघर्ष बेहद जटिल और थका देने वाली प्रक्रिया है। और खर्चीली भी हमने दोनों मोर्चों पर धैर्य और विवेक का मार्ग नहीं छोडा। परिणाम ये हुआ कि इसका प्रभव जाति आरक्षण की सामान्य प्रक्रिया पर भी दृष्टिगोचर होने लगा। आज पूरे देश में जाति आरक्षण का मुददा जातिवादी राजनेताओं की गले की घंटी बन चुका है। यह हमारे लिये संतोष और गर्व की बात है।

मन-प्राण के संतोष और गर्व को उत्सव के रूप में मनाने का अवसर है 11 मई। अर्थात समता आंदोलन का स्थापना दिवस। आइये प्रदेश, मण्डल, जिला, तहसील मुख्यालय पर अपने पुरूषार्थ का पर्व धूमधाम से मनावें। जय समता।

सम्पादकीय

सर्वोपरि है जनबल

हाल ही में दो बातें ऐसी सामने आई कि हमारी वैचारिक प्रक्रिया हतप्रभ रह गई। पहली बात तो ये कि समता आंदोलन के महासचिव आर.एन.गौड ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट भेजी वो इस प्रकार है- मुख्यमंत्री जी से हमारे नेताओं की एक मुलाकात 2011 में बंद कमरे में हुई थी। स्पष्टवादी गहलोत जी ने साफ कहा था कि हमारी पार्टी की रीति नीति से मैं अलग नहीं जा सकता। वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में है लेकिन हमारी पार्टी एससी/एसटी मायनोरिटी जो हमारा वोट बैंक है उनके विरूद्ध कोई कदम नहीं उठायेगी। क्योंकि वो लोग ज्यादा बहसबाजी नहीं करते, पढे-लिखे कम हैं और हमारी पार्टी की बात मानकर थोक में वोट डालते हैं। आपके साथ आपके लोग ही पूरे नहीं होते। ज्यादा अक्लमंद होते हैं इसलिये आपको कोर्ट में महंगी लडाई लडनी पडती है''

और दूसरी बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही जुडी है। फर्क केवल इतना है कि एकदम ताजा खबरों के अनुसार'' राजस्थान देश में अकेला प्रदेश है जहाँ प्रमोशन में आरक्षण है। बाकी किसी राज्य में नहीं है। मेरे खिलाफ यहाँ मिशन-72 बन गया, लेकिन मैने इसके लिये लडाई लडी। स्टैंड लिया कि प्रमोशन में आरक्षण रहना चाहिये। लम्बी अदालती लड़ाई में हम जीते। लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव आये तो आपने (एससी-एसटी ने) हमें साफ कर दिया तो आरक्षण पता नहीं कहाँ चला गया। वे अम्बेडकर सोसायटी के कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उपरोक्त दोनों बातों से अलग-अलग संकेत नहीं बल्कि तथ्य सामने आते हैं। पहली बात से ये स्पष्ट होता है कि चाहे किसी भी स्तर की अदालत का कोई भी निर्णय हो राजनैतिक इच्छा शक्ति के सामने उसका कोई महत्व नहीं है। और अदालती आदेश शब्दों का ऐसा जटिल संजाल होते हैं कि उसमें जीतने वाले और हारने वाले दोनों को अपनी जीत दिखाई देती है। प्रशासन की मशीनरी उसे साधारणत: सरकार की जीत के रूप में ही लेती है। भले ही आदेश उल्टा क्यों न हो। अत: यह तथ्यत: प्रमाणित होता है कि लोकतंत्र में अन्तत: जनप्रतिनिधियों की ईच्छाशक्ति ही सर्वोपरि होती है।

हमारी बात से यह प्रमाणित होता है कि मात्र तुष्टिकरण की नीति सर्वोपरि नहीं हो सकती हैं। लेकिन यह गंभीर तथ्य ये है कि 2018 में गहलोत सरकार के हार जाने के बाद भी यदि प्रमोशन में आरक्षण वर्तमान है तो स्पष्ट है कि भाजपा सरकार ने भी इसे चलाए रखा। यानि देश की दोनों बडी पार्टियाँ जाति आरक्षण को सत्ता प्राप्ति के हथियार के रूप में प्रयुक्त करती है और इस दृष्टि से देखा जाये तो कथित राजनैतिक पार्टियों की सारी आदर्शवादी नीतियाँ अन्तत: सत्ता प्राप्ति का सामान ही सिद्ध होती है।

उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि पार्टियाँ, विधानसभा, संसद और बडी अदालतों से भी ऊपर और शक्तिशाली है जनबल है। कम से कम समता आंदोलन ने इसे प्रमाणित भी किया है। प्रदेश में हजारों कर्मचारी व अफसरों को जो पदोन्नति में आरक्षण की सौगात मिली है वह वास्तव में अखिलेश यादव के सम्मान समारोह में उमडी हजारों की भीड और संसद मार्ग पर समता आंदोलन द्वारा आयोजित देश के सबसे बडे धरने का ही प्रतिफल है। वर्तमान में अदालतों की कार्यप्रणाली भ्रमित करने वाली लगती है। अत: जरूरी है कि अब समता आंदोलन कर्मचारियों के साथ-साथ जनता का भी आंदोलन बने।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

क्या जातीयता मनुष्यता से बड़ा तत्व है!

लगता है कि लोकतंत्र की नई परिभाषा घड़ दी गई है। जाति मनुष्यता से बड़ा तत्व बन गई है। अब दुर्घटना अथवा आतंकी घटना में मरने वाले दर्जनों लोगों की खबर भीतर के पन्नों में कहीं कुछ पंक्तियां पाती है जबकि जाति से जुड़ी छोटी-सी खबर भी मुख पृष्ठ अथवा अंतिम पृष्ठ पर बैठकर मानवता का मुंह चिढ़ाती है और गांधी के देश में गांधी को ही बेगाना बनाती है।

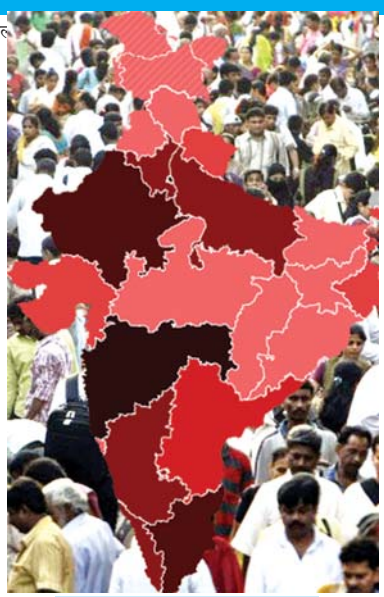

आज का मध्यकाल इतिहास दुनियाभर के इतिहास की ही तरह उथल-पुथल और बेचैनी का समय रहा है। किन्तु फिर भी वह कालखण्ड अपनी अलग आभा और चमक के साथ हर इनसान को आकर्षित और प्रभावित करता है तो इसका प्रमुख कारण है भक्ति आन्दोलन। इसी दौरान तुलसी, सूर, मीरा, दादू, नानक, कबीर आदि-आदि भक्त कवियों ने ईश्वर आराधना के बहाने जो दोहे, साखी, शबद, वाणी आदि-आदि का उद्घोष किया, उसने मानव समाज को गहराई तक प्रभावित किया या यों कहें कि मार्गदर्शित किया। भक्त कवियों ने अपनी धुन में आध्यात्मिक सत्य के बहाने सामाजिक मर्यादाओं का जो निर्देशन किया, उसी की एक बानगी है- *जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान।*

मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।

आज इतिहास की महान धारा को बदलने का मानस स्पष्ट हो चुका है और वो भी राष्ट्र धर्म के लिये नहीं, अपितु सात समन्दर पार के आकाओं के पदत्राण सिर पर उठाने के लिए हो रहा है । ऐसे किसी भी प्रतिगामी कदम की समझ जन को तो वैसे भी नहीं होती, लेकिन आज तो राष्ट्रीय समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी भ्रमित दिखाई देता है। हमारे देश में जाति कब और किसने शुरू की, यह कोई नहीं जानता। किंतु हां इतना स्पष्ट है कि 'स्मृति' काल में सम्पूर्ण मानवता को चार वर्गों में अवश्य ही विभक्त किया गया था। फिर सैंकड़ों सालों बाद सन् 1931 में भारत में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना कराई। उनके मन में क्या था यह तो पता नहीं, लेकिन आज के जनमानस में यह बैठा दिया गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य हैं। फिर भी 1931 के बाद प्राय: 80 सालों तक हर दसवें साल होने वाली जनगणना से जातिगत गणना को अलग रखा गया था। तो फिर अब जबकि कथित विकास की लहरें हदों के तटबन्ध तोड़ती नजर आती है, तब यह

लगता है लोकतंत्र की नई परिभाषा घड़ दी गई है। जाति मनुष्यता से बड़ा तत्व बन गई है। अब दुर्घटना अथवा आतंकी घटना में मरने वाले दर्जनों लोगों की खबर भीतर के पन्नों में कहीं कुछ पंक्तियां पाती है जबकि जाति से जुड़ी छोटी-सी खबर भी मुख-पृष्ठ अथवा अंतिम-पृष्ठ पर बैठकर मानवता का मुंह चिढ़ाती है और गांधी के देश में ही गांधी को बेगाना बनाती हैं।

प्रतिगामी कदम क्यों उठाया जा रहा है ? यह इन दिनों बहस का मुद्दा है। राष्ट्र चाहे तो गर्व कर सकता है कि आजादी के ठीक बाद से हमने अपने आप को जो भूलना शुरू किया, उसका सुफल ये मिला कि हमारा लोकतंत्र साक्षात रूप से जाति-तंत्र बन गया है। सत्ता की कुत्सित भूख ने आचार्य शांकरदेव का का कथन- *''राजनीति राक्षसेर शास्त्र''* मूर्तिमान कर दिया। और अब तो एक बार फिर से वही परिस्थितियां बन गई दिखाई देती हैं जिनके कारण यह देश सदियों तक गुलाम रहा था ? आज इक्कीसवीं शताब्दि के द्वितीय दशक की लगभग समाप्ति पर सहसा मन को विश्वास नहीं होता कि दुनिया के लगभग दो सौ (194) स्वतंत्र देशों में से केवल भारत ऐसा है, जो जातिवाद के भस्मासुर से फिर से प्राणदान देने के मंत्र जप रहा है।

देश के सुधि लोग मानव श्रृंखला, बैनर, पैदल मार्च, अग्रलेखों, भाषणों आदि-आदि के द्वारा जातिगत जनगणना को अनावश्यक व प्रतिगामी कदम बताते हुये विरोध कर चुके है, किंतु लगता है अब संसद और जनता एक दूसरे से बिलकुल अनजान रहकर आगे बढ़ने में अपनी शान समझते हैं। विशेषकर संसद पर तो यह बात प्राय: पूरी तरह सटीक बैठती है कि अब वो जनता की नहीं, अपितु जनता पर संसद है। लगता है लोकतंत्र की नई परिभाषा घड़ दी गई है। जाति मनुष्यता से बड़ा तत्व बन गई है। अब दुर्घटना अथवा आतंकी घटना में मरने वाले दर्जनों लोगों की खबर भीतर के पन्नों में कहीं कुछ पंक्तियां पाती है जबकि जाति से जुड़ी छोटी-सी खबर भी मुख-पृष्ठ अथवा अंतिम-पृष्ठ पर बैठकर मानवता का मुंह चिढ़ाती है और गांधी के देश में ही गांधी को बेगाना बनाती हैं।

साफतौर पर मानवता, मनुष्यता, इसानियत जैसे शब्दों के अर्थ अब जातीय रंगों से रंग दिये गये हैं। कहने को हमारी अपनी सरकार और अपना संविधान है लेकिन इनमें से अपनत्व ना जाने कहां तिरोहित हो गया है। जनता और देश के लिए तपना और निजी स्वार्थ को परमार्थ के सामने तुच्छ मानने वाले लोग अव्वल तो है ही नहीं, और जो हैं भी, तो उन्हें उनकी अपनी पार्टी नहीं गिनती है। जोखिम उठाने की प्रवृति प्राय: शून्य स्तर तक समाप्त हो चुकी घौंसपट्टी और नीति-नियम शून्यता आज का नया सच बनकर तनकर चल रहा है और करोड़ों लोग गीता के उपदेश- *''कर्मण्येवाधिकारस्ते.....''* पर नजरे गढ़ाए तारणहार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मात्र प्रतीक्षा।

-योगेश्वर शर्मा

पौराणिक कथन: 'अक्षय तृतीया'

वैशाख शुक्ल तृतीया। इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ माना गया है। यह अति पवित्र और स्थाईत्व की तिथि है।

जातिवाद को पढ़ने वाले,
समता को तू भूल न जाना।
अपनों से यदि दूर हुआ तो,
कहीं न होगा ठौर-ठिकाना।।

कविता

''दीमक चौखट चाट रही''

हम भारत के ऐसे बच्चे,
जिन्हें कोई अधिकार नहीं है,
देश की सारी सरकारों को,
हमसे कोई प्यार नहीं है।
आजादी की समर भूमि में,
जब तलवारें चमक रहीं,
और तोप तमंच्चें गरज रहे थे,
हमने भी तब खून बहाकर,
खुली सांस का गीत रचा था,
आज हमारी पीड़ाओं का,
कोई पैराकार नहीं है,
देश की सारी सरकारों को,
हमसे कोई प्यार नहीं है।
मानवता की मर्यादा में,
नैतिकता निर्वस्त्र हुइ और
न्यायतंत्र लाचार खड़ा है,
टूट गई है वह चौकी जिस पर,
प्यारा राष्ट्र खड़ा था,
समझ, वीरता और धीरज की,
अब कोई दरकार नहीं है,
देश की सारी सरकारों को,
हमसे कोई प्यार नहीं है।
उस गोल भवन के गलियारों में,
दीवारें बदरंग हुई और
खुली जगह में शून्य भरा है,
वहां सजे है कंकर-पत्थर,
जहां कभी हिमवान खड़ा था,
जो जन-गण के मन को पढले,
ऐसा कोई सरोकार नहीं है,
देश की सारी सरकारों को,
हमसे कोई प्यार नहीं है।
कहां कहें किस-किस से बोलें,
दीमक चौखट चाट रही,
मालिक घर का बिदांस खड़ा है,
वहां पहुंच गया पागल हाथी,
जिस स्थान पर पिता खड़ा था,
उठो बाघ बन भरत-पुत्र सब,
भारत माँ चीत्कार रही है,
देश की सारी सरकारों को,
हमसे कोई प्यार नहीं है।

– वाई. एन. शर्मा –

देश और राज्यों की स्थिति

गतांग से आगे:

झारखंड के अग्रणी समाचार-पत्र 'प्रभाव खबर' के संपादक और मेरे मित्र हरिवंश द्वारा मुझे कुछ आँकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। इंद्रा साहनी और इस तरह के अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद व्यवहार में ऐसी व्यवस्था देखी जा रही हैं, जो प्रशासन की गुणवत्ता के स्तर के नीचे गिराने के सिवाय और कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इस पर भी सबकुछ ज्यों-का-त्यों चल रहा है।

मई 2001 में झारखंड सरकार ने घोषणा की थी कि 50 प्रतिशत नहीं, 60 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएँगे। मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया। उच्च न्यायालय ने 60 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय को असंगत बताते हुए उसे 50 प्रतिशत की सीमा में लाने का निर्देश दिया । लेकिन उस समय एक अन्य कारक मौजूद था-झारखंड शीघ्र ही बिहार से अलग हुआ था और सेवाओं का विभाजन दोनों राज्यों के बीच हो चुका था। सेवाओं के विभाजन, आरक्षण नीति और 85वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप वर्ष 2006 के पूर्वार्द्ध तक संयुक्त सचिव स्तर की 78 प्रतिशत और उप-सचिव स्तर की 64 प्रतिशत रिक्तियों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को दे दी गई थीं। इसी तरह राज्य के वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के 60 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों को दे दिए गए थे। यहाँ दु:ख की बात यह नहीं है कि इन (अनुसूचित जाति के जनजाति के) अधिकारियों को ये पद दे दिए गए, बल्कि वास्तव में दु:ख की बात यह है कि उन्हें ये पद उनकी जातीय विशेषता और संविधान के गलत अर्थ-निरूपण के चलते मिल गए।

'दि इंडियन एक्सप्रेस' के राजस्थान संवाददाता ने भी इस तरह के कई मामलों के बारे में रिपोर्ट भेजी थी। डॉ.जे.एस. 1982 बैच के एक चिकित्सक हैं। वह राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हैं। तेइस वर्ष पहले सेवा में आने के बाद से अब तक उन्हें एक भी पदोन्नति नहीं मिली है। उनके तीन छात्र आज प्राध्यापक बन गए हैं। यह सब आरक्षण का ही तो कमाल है। इसी तरह डा. आर.ए. शल्य चिकित्सा विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। उनके आधा दर्जन सहकर्मी और छात्र आज प्राध्यापक बने बैठे हैं। इसी तरह आर.के.जे. राजस्थान राज्य सचिवालय में तीस वर्षों तक सेवा कर चुकने के बाद भी अवर श्रेणी लिपिक के पद पर ही बना हुआ है। जबकि बी.एस.एम. जो आरक्षण कोटे के अंतर्गत आर.के.जे.से मात्र दो वर्ष पूर्व निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में सेवा में आया, इस दौरान चार पदोन्नति पाकर आज उप सचिव के पद पर पहुँच गया है।

> **आरक्षण – प्राप्त अभ्यर्थी अपनी योग्यता के बल पर नौकरी या प्रवेश पाने मे सक्षम होते तो उनके लिए अलग से पद या सीटें आरक्षित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को इन आरक्षित पदों व सीटों से बाहर रखने की सच्चाई से ही पता चल जाता है कि प्रवेश अथवा नियुक्ति के समय ये आरक्षण – प्राप्त अभ्यर्थी वांछित अर्हता से युक्त नहीं होते।**

मुझें गलत न समझें मैं वरिष्ठता आदि की धारणाओं और उस व्यवस्था के खिलाफ हूँ, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को कुछ निश्चित पद अथवा सीटें स्वाभाविक रूप से प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है, भले ही वे संबंद्यित पद या सीट के लिए आवश्यक अर्हता शर्तें पूरी करने में असमर्थ हैं।

यदि वरिष्ठता की व्यवस्था इस कारण छोड दी जाए कि वरिष्ठता सूचि में निम्न स्थान पर रहने वाला कोइ व्यक्ति मौजूदा पद कार्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक योग्य और कुशल है तो ऐसे में वह पद वरिष्ठता सूचि में अपेक्षाकृत उच्च स्थान पाने वाले, किंतु अपेक्षाकृत कम योग्य व्यक्ति की बजाय उपर्युक्त अधिक योग्य और कुशल व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो योग्यता -कुशलता के आधार पर नहीं बल्कि संबंधित व्यक्ति की जाति के आधार पर पदोन्नतियाँ दी जा रही हैं।

वरिष्ठता सूचि में 140वें और 152वें स्थान पर सूचिबद्ध किए गए व्यक्तियों को उस व्यक्ति, जिसका वरिष्ठता सूचि में 19 वाँ स्थान है, से पहले और वह भी काफी उच्च स्तर के पद पर पदोन्नत करके -और वह भी केवल जातीय विशेषता के चलते -हम किसे बढावा दे रहे हैं, लोगो में क्या संदेश पहुँचा रहे हैं?

किंतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से ऐसी कई बातें मिलती है, जिनके आधार पर इन सब विसंगतियों और उनके दुष्परिणामों को भी न्यायसंगत ठहराया जा रहा है। इद्रा साहनी मामले में ज्यादातर न्यायाधीशों का कहना था कि ''आरक्षण की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार के पूरक प्रावधान, विशेष प्रावधान तथा सभी प्रकार की छूटें व ढील आदि आ जाते हैं, जो प्रशासन की गुणवत्ता के अनुरूप किऐ जाते हैं- यानी अनुच्छेद 335में रखी गई शर्तों के अनुरूप।'' अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त 'कोई भी शब्द के आद्यार पर ही न्यायाधीशगण यह अर्थ निरूपण कर रहे हैं। अनुच्छेद 16(4) में यह 'कोई भी' शब्द इस प्रकार प्रयुक्त हुआ है -''इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार कों.....आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान ....।'' न्यायाधीशों का कहना है कि ''यहाँ नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए 'कोई भी प्रावधान' शब्दों में एक विशेषता छिपी हुई है। अत: 'कोई भी' और उससे जुडे अन्य शब्दों का उपयुक्त अर्थ लगाया जाना चाहिए। ये कोई अनावश्यक शब्द नहीं हैं।''

यदि इसे छोड भी दें तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस प्रकार अर्हता शर्तों में 'छूट' और 'ढील' देने के बाद भी शिक्षा का स्तर प्रभावित नहीं होगा?

सेवाओं में भी गुणवत्ता का स्तर कायम नहीं रह सकता। यह समझने के लिए किसी रॉकेट विज्ञान का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पडेगी कि यदि आरक्षण – प्राप्त अभ्यर्थी अपनी योग्यता के बल पर नौकरी या प्रवेश पाने मे सक्षम होते तो उनके लिए अलग से पद या सीटें आरक्षित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को इन आरक्षित पदों व सीटों से बाहर रखने की सच्चाई से ही पता चल जाता है कि प्रवेश अथवा नियुक्ति के समय ये आरक्षण – प्राप्त अभ्यर्थी वांछित अर्हता से युक्त नहीं होते। एक और बात भी तो है – कोई आरक्षण श्रेणी का अभ्यर्थी यदि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित किसी पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसे आरक्षित कोटे के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इतनी सारी विसंगतियों को देखते हुए भी हमारे न्यायाधीश आखिर यह कैसे मान लेते हैं कि इसे गुणवत्ता या कुशलता प्रभावित नहीं होती ?

यहाँ तीन बातें उल्लेखनीय हैं-

ऽ आरक्षणार्थी अपनी किसी अतिरिक्त योग्यता के बल पर दूसरे कर्मचारियों से आगे नहीं निकल जाते, बल्कि ऐसा वे आरक्षण नीति और रोस्टर सिस्टम के बल पर ही कर पाते हैं।

ऽ अन्य लोगों की तरह ही वे स्वंय भी जानते है- इस सबका परिणाम सेवा एवं प्रशासन की कार्य पद्धति को कैसे प्रभावित नहीं करेगा!

ऽ पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के चलते जिन कर्मचारियों – अधिकारियों को पदोन्नति मिलती है, वे काफी उम्र के होते हैं; अत: वे अधिकांश उपलब्ध उच्च पदों पर वर्षों तक बने रहते हैं। इस प्रकार, सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों – अधिकारियों को वहाँ तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिल पाता और इसी बीच वे सेवानिवृत हो जाते हैं। – यह सबकुछ उनकी किसी गलती या अयोग्यता के कारण नहीं, बल्कि अपनी जाति के कारण।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

समता आन्दोलन कार्यकारिणी बैठक

महिलाओं और युवाओं को आंदोलन से जोड़ा जाए: पाराशर नारायण शर्मा

जयपुर। समता आन्दोलन के प्रदेश मुख्यालय जयपुर में कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण की अध्यक्षता में राम मन्दिर, स्टेशन रोड पर दिनांक 13 अप्रेल 2022 को सम्पन्न हुई।

बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों के मध्य 11 मई 2022 को आने वाले 15वें स्थापना दिवस को मनाये जाने पर चर्चा हुई। कार्यकारिणी द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव पारित किये गये:-

1. स्थापना दिवस समारोह 11 मई 2022 को राजधानी जयपुर में हर्षोल्लास से मनाया जाए। संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों पर भी स्थापना महोत्सव मनान`के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये जाएं।
2. सामाजिक सरोकारों से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाई जाए, जैसे टोल टैक्स की लूट से मुक्ति, विद्युत बिल मुक्त राजस्थान, सघन वृक्षारोपण आदि।
3. टोल टैक्स बंद कराने हेतु याचिका लगाई जाए।
4. विगत वर्षों में चयनित राष्ट्रवादी कार्मिकों को समता आंदोलन से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। लोक सेवकों के अलावा आम नागरिकों को भी समता आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रोकोष्ठों को सक्रीय किया जाए।
5. वर्ष 2022 में संविदा कर्मियों के चयन में गैर कानूनी नियमों को जांच कर हटवाया जाएगा।
6. मासिकबैठकनियमित रूप से आयोजित की जाए।
7. महिलाओं और युवाओं को आंदोलन से जोड़ा जाए।
8. जिला स्तर पर अध्यक्ष श्री पाराशर नारायण जी के दौर`बढ़ाए जाए।
9. समता आंदोलन के विचारधारा संबंधी पी.पी.टी. तैयार कर के प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति तक पहुंचाई जाए।
10. हर महीने जूम या अन्य डिजिटल माध्यम से मीटिंग का आयोजन किया जाए।
11. सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे जरनैल सिंह प्रकरण में पदोन्नति में आरक्षण विषय पर केन्द्र सरकार के द्वारा कोर्ट को भयभीत करने वाले जवाब का पूरी तैयारी से प्रतिवाद किया जावे।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक मत और एक स्वर में सभी प्रस्तावों को स्वीकृत किया। उपस्थित सदस्यों में उपाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह मेघसर, महासचिव, आर.एन.गौड, जयपुर संभाग अध्यक्ष ऋषिराज राठौड, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा. एस.एस. सेवदा, जयपुर जिला सचिव महेश पवालिया, सुरेन्द्र सिंह, योगेश्वर शर्मा, एन.एल.सिंगडोदिया, सुनील जैन, निर्मल कौशिक, सुरेन्द्र पारीक, विकास शर्मा, पंकज शर्मा, पवन भगत, बाल मुकन्द शर्मा आदि ने भी विचार विमर्श में भाग लिया।

बैठक के अन्त में बाल मुकन्द शर्मा ने अपने पुत्र के कर्नल से ब्रिगेडियर में पदोन्नति होने पर सभी सदस्यों को मिठाई बांटी।

स्थापना महोत्सव दिशा निर्देश

स्थापना महोत्सव माह-2022 पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाए: पाराशर नारायण शर्मा

साथियों

जय समता। आगामी 11 मई 2022 को समता आन्दोलन समिति की स्थापना को चौदह वर्ष पूर्ण हो रहे है। समता आन्दोलन की स्थापना दिनांक 11 मई 2008 को जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के बगीचें में कुल ग्यारह संस्थापक सदस्यों की पूर्वाह्न 11.00 बजे शुरू हुई बैठक में की गई थी। कुल चौदह साल के छोट `स `कार्यकाल में समता आन्दोलन सभी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और सहयोग से पूरे भारत वर्ष में अपनी किस्म का सबसे बड़ा गैर-राजनैतिक संगठन बन गया है। हर वर्ष की भांति इस बार भी समता आन्दोलन के स्थापना दिवस 11 मई के उपलक्ष में सभी प्रदेश, सम्भाग, जिला व तहसील मुख्यालयों पर ''समता स्थापना महोत्सव माह'' धूमधाम से मनाया जाना है । स्थापना महोत्सव को जनजागरण अभियान के रूप में मनाया जाना है। अत: पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस एक रूपता से मनाया जावें और समता आन्दोलन की प्रगति व उन्नति के लिए सभी कार्यकर्ताओं की दुआएँ संघीभूत होकर क्रियान्वित हों, इसके लिए निम्न कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेश, सम्भाग, जिला व तहसील मुख्यालय के लिए निर्धारित किये गये हैं:-

(1) दिनांक 11 मई से 10 जून 2022 के मध्य किसी एक दिन (अपनीसुविधानुसार) सामूहिक बैठक/सभा करके स्थापना महोत्सव मनावें। इस बैठक/सभा में अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जावें। सभी को समता आन्दोलन का ''नीतिपत्र''(समता आन्दोलन के बेबसाइट से '। इवनजनें' शीर्षक से प्रिन्ट आउट लेंवे) पढकर सुनाया जावें तथा एक-एक फोटो प्रति सभी को वितरित की जावें।

(2)मुख्यालय/ अपनी बेबसाइट से अब तक की गतिविधियों की जानकारी लेकर इस बैठक में दी जावें, फोटोप्रतियॉ वितरित की जावें।

(3) यह आयोजन आपसी सहयोग से आयोजित किया जावें, सहयोग राशि रू.100, 200, 500/- (यथाशक्ति) ली जावे। इस राशि से स्थापना महोत्स व समारोह और सहभोज की व्यवस्था की जावे। इन राशियों के कूपन छपवाने के लिए मजमून बेबसाइट से अथवा प्रदेश मुख्यालय से लेंवे। तहसील स्तर पर कम से कम 200 व्यक्ति, जिला स्तर पर कम से कम 1000 व्यक्ति तथा प्रदेश स्तर पर कम से कम 2000व्यक्तिआवश्यक रूप से बुलाये जावें।

(4)सम्भाग/जिला मुख्यालय पर यदि पदाधिकारी चाहें तो आयोजन में प्रदेश स्तर का कोई पदाधिकारी भी भेजा जा सकता है। इसके लिए तत्काल सूचित करें।

(5)सहभोज का मैन्यु साधारण रखें जैसे दाल/कढी, चावल एंव हलवा अथवा पूरी, सब्जी, बूंदी या कोई एक मिठाइ `बस। भोजन का मैन्यु नहीं, बल्कि एक साथ एकत्र होकर सहभोज करना महत्वपूर्ण है। भोजन का समय सामूहिक बैठक के बाद रखा जावें।

(6) इस कार्यक्रम में आपके क्षेत्र के सभी दलों महत्वपूर्ण राजनेता (प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री/एम.पी/ एम.एल.ए./ जिलाप्रमुख/प्रधान/ जिलाध्यक्ष/तहसील अध्यक्षआदि) को जरूर बुलावें। उनके मार्फत एक ज्ञापन अधिकतम हस्ताक्षर युक्त माननीय मुख्यमंत्री/उनके पार्टी अध्यक्षों को भिजवाये। ज्ञापन का मजमून वेबसाइट से लेवें। कार्यक्रम में जो राजनेता आये हो उन्हें कार्यक्रम के बाद शिष्टमण्डल के साथ जाकर धन्यवाद देकर आवें तथा जो नहीं आये हो उन्हें विनम्रता से अपनत्व भरा उलाहना देकर आवें।

(7) इस कार्यक्रम में स्थानीय सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक आदि संगठनों के अधिक तम लोगों को भी आमंन्त्रित करे `ताकि उन्हें समता आन्दोलन की रीति नीति के बार `में व्यापक जानकारी मिल सकें। राजकीय अथवा निजी क्षेत्र के बडें अधिकारियों को भी आमन्त्रित करें।

(8) प्रिन्ट एंव इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लोगों को भी आमन्त्रित करें।

(9) कृपया आमंत्रित राजनेताओं के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री को अथवा उनके पार्टी अध्यक्षों को भेजे गये अधिकतम हस्ताक्षरयुक्त पूरे ज्ञापनों की फोटो प्रति प्रदेश मुख्यालय को जरूर भेजें। ज्ञापन का मजबून समता आन्दोलन की बेवसाइट से डाउनलोड कर लेवें।

(10) सफल आयोजन के लिए अधिकतम लोगों का आना सुनिश्चित करें जिसके लिए बडा परिश्रम करते हुए सहयोग राशि के अधिकतम कूपन (रू.100, 200, 500/-वाले) वितरित किये जावें।

(11) सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें। प्रत्येक जिला व तहसील मुख्यालय पर वाट्सअप के क्रमश: 10-10 व 5-5 ग्रुप अधिकतम राष्ट्रवादियों को शामिल करते हुये समता आन्दोलन समिति के नाम से बनावें और भरपूर प्रचार प्रसार करें।

(12) कार्यक्रम पूरा होनेपर कार्यक्रम में आये लोगों के नाम व मोबाईल नम्बर, प्रेस कवरेज की कटिंग्स आदि की सूचना प्रदेश मुख्यालय को अवश्य भेजे `ताकि यह जानकारी बैबसाईट पर अपलोड की जा सकें कि कौनसी सम्भाग, जिला या तहसील इकाई कितनी क्रियाशील है।

कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ। सभी पूरे जोश से अपने क्षेत्र के कार्यक्रम को सफल बनावें।

जन्म से तय होती है जाति : कर्नाटक हाई कोट

पति की जाति से तय नहीं होगा महिला का कास्ट, शादी के बाद की परिस्थितियां अपवाद

कर्नाटक हाईकोर्ट कहा है कि महिला की जाति पिता की जाति से तय की जाती है, ना कि पति की जाति से। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की सिगल बेंच ने कहा कि महिलाएं कई बार सामाजिक स्वीकृति से पति की जाति को हासिल कर लेती है। हालांकि यह अपवाद है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाभारत का श्लोक 'दैव यन्नाम कुले जन्मा, पुरुषा यन्नाम पौरुषम्' भी पढ़ा। इसका अर्थ है- किसी कुल विशेष में जन्म लेना दैव यानी ईश्वर के अधीन है, लेकिन इंसान के वश में पुरुषार्थ है।

शिवमोगा के ग्राम अधिकारी की याचिका खारिज करते हुए कोट `न `महाभारत का श्लोक ''दैव यन्नाम कुले जन्मा, पुरुषा यन्नाम पौरुषम'' का भी जिक्र किया। सुनवाइ `के दौरान महिला ने कहा कि मुझे चुनाव प्राधिकरण के सामने अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला

अर्चना एमजी नामक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शिवमोगा सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि वे ट्राइबल रिजर्व सीट से ग्राम पंचायत सदस्य हैं, लेकिन शिवमोगा कोर्ट ने कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर उसे पद से हटा दिया। महिला का तर्क था कि उसने अनुसूचित जनजाति से आने वाले व्यक्ति से शादी की है। ऐसे में वो भी इसी जाति की हो गई है, जिस वजह से उसे रिजर्व सीट के पद से नहीं हटाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था ऑर्डर

20 जनवरी को एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा और एम एम शांत नागौदर की बेंच ने भी कहा था कि महिला की जाति जन्म से ही तय होती है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि जाति अपरिवर्तनीय है। ऐसे में शादी के बाद इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

सौ फीसद अंक फिर भी नौकरी नहीं, हाईकोर्ट की ली शरण

सामान्य श्रेणी की युवती को 100 फीसद अंक के बाद भी आरक्षण बना बाधा

हरियाणा में, यदि सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार किसी नौकरी के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की लिखित परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

करनाल जिले की एक ऐसी ही एक अभ्यर्थी मोनिका रमन सौ फीसद अंक हासिल पाने के बाद राज्य की बिजली वितरण कंपनी में जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पद पर नहीं चुनी गई तो उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है।

याची के वकील राजेन्द्र सिंह मलिक की दलील है कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण प्रदान करने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है जो योग्य अभ्यर्थी के बजाय अयोग्य को वरीयता देती है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in